



2026:AHC:29900

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए सं. - 16112 सन् 2025

श्रीमती बिनेश देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : संतोष कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार सिंह और राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि हालांकि रिट याचिकाकर्ता आंगनवाड़ी कार्यक्रम के रूप में चुने जाने का दावा करता है, हालांकि, चौथे प्रतिवादी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा 10.10.2025 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें नियुक्ति के लिए रिट याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने और इस आधार पर शामिल होने की मांग की गई कि 19/20.11.2025 को, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, वित्त और राजस्व, फिरोजाबाद द्वारा रिट याचिकाकर्ता के पति के आय प्रमाण पत्र को रद्द करने का आदेश पारित किया गया।
3. इस न्यायालय ने प्रतिवादियों से निर्देश मांगते हुए रिट याचिका पर विचार किया।
4. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने की मांग की है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, वित्त और राजस्व द्वारा आय प्रमाण पत्र को रद्द करने वाला आदेश दिनांक 19.11.2025 और 20.11.2025 को पारित किया गया था, जो रिट-सी संख्या 949 सन् 2026 (राजमणि यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में चुनौती का विषय था, जिसमें रिट याचिका को 16.01.2026 को अनुमति दी गई थी और, इस प्रकार, अब कानूनी बाधा समाप्त हो गई है, खासकर जब अब रिट याचिकाकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में चयन के लाभों का हकदार है।
5. श्री एस.के. पाल, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि, यदि आय प्रमाण पत्र को रद्द करने के आदेश दिनांक 19/20.11.2025 को रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया जाता है, तो मामले पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।
6. मैंने बार में किए गए निवेदन को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।
7. जिला कार्यक्रम अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा पारित दिनांक 10.10.2025 का आदेश, इस तथ्य पर आगे बढ़ता है कि रिट याचिकाकर्ता के पति के आय प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए एक कवायद की गई है, इस प्रकार, रिट याचिकाकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में चयन, नियुक्ति और शामिल होने के लाभों का हकदार नहीं है। राजमणि यादव (उपरोक्त) में, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने 16.01.2026 को निम्नानुसार टिप्पणी की-

"1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 3-जिला मजिस्ट्रेट (एफ एंड आर), फिरोजाबाद द्वारा प्रतिवादी संख्या 2-जिला मजिस्ट्रेट की ओर से पारित दिनांक 19.11.2025 और 20.11.2025 के आक्षेपित आदेशों का उल्लंघन किया है, जिसके द्वारा उसने याचिकाकर्ता के आय प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है।

3. उपरोक्त आदेशों को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश एकपक्षीय हैं और याचिकाकर्ता को कोई नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किए गए हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि संबंधित प्रावधान के तहत, तहसीलदार को आय प्रमाण पत्र देने का अधिकार है, और उसके पास आय प्रमाण पत्र रद्द करने की शक्ति भी है। यह तर्क दिया जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है, और इसलिए, वह आय प्रमाण पत्र को रद्द करने का आदेश पारित नहीं कर सकता है क्योंकि यदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रद्द करने का आदेश पारित किया जाता है तो याचिकाकर्ता का अपील करने का अधिकार जब्त कर लिया जाता है।

4. प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क होगा कि उप मंडल मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट तलब करने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश पारित किया है, इसलिए, आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं है।

5. जैसा भी हो, आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले कोई नोटिस और सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था।

इसके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 6 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते, वह आय प्रमाण पत्र को रद्द नहीं कर सकता है, जो तहसीलदार के पास निहित है, क्योंकि यदि आय प्रमाण पत्र को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है तो आय प्रमाण पत्र की अस्वीकृति या रद्द होने के मामले में अपील करने के याचिकाकर्ता के अधिकार को जब्त कर लिया जाएगा आय प्रमाण पत्र की संख्या और याचिकाकर्ता के लिए गंभीर पूर्वाग्रह का कारण बनेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित आदेशों को बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

6. सक्षम प्राधिकारी यानी तहसीलदार के लिए यह अधिकार है कि वह याचिकाकर्ता को उचित नोटिस और सुनवाई का अवसर देने के बाद और याचिकाकर्ता के खिलाफ भरोसा की जाने वाली सभी सामग्रियों की आपूर्ति करने के बाद उचित आदेश पारित करे।

7. इस प्रकार, ऊपर दिए गए कारणों से, रिट याचिका को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के अनुमति दी जाती है।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान आदेश प्राप्त करने में तथ्य को छिपाया जाता है, तो प्रतिवादियों को उक्त आदेश को वापस लेने के लिए वापस बुलाने का आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता होगी।”

8. चूंकि, अब आय प्रमाण पत्र को रद्द करने का आदेश अपास्त कर दिया गया है, इस प्रकार, प्राधिकरण द्वारा मामले पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

9. तदनुसार, जिला कार्यक्रम अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा पारित दिनांक 10.10.2025 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है, चौथे प्रतिवादी को एक महीने की अवधि के भीतर राजमणि यादव (उपरोक्त) में डिवीजन बेंच के निर्णय के आलोक में मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश जारी किया जाता है।

10. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



फरवरी 11, 2026

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"